FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0269   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 13/10/2025 17:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
5	भा दं सं 1860	193
6	भा दं सं 1860	420
7	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 05/09/2020   Date To (दिनांक तक): 12/04/2024

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 10:00 बजे   Time To (समय तक): 10:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/10/2025   Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 13/10/2025 17:27:22 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 222 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): GRAM PANCHAYAT KACHHOLA, JILA BHILWARA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम):
District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): JAGNNATH SINGH SHAKTAWAT

(b) Father's Name (पिता का नाम): FAUJSINGH SHAKTAWAT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1949 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	273, U.I.T. AMBEDAKAR NAGAR, KUNHARI, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MAHUA, MANDALGARH, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):
Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRAHLAD NAT		पिता:GOPI LAL NAT	1. KACHHOLA,KACHHOLA,BHILW
2	GOVARDHAN PURI GOSWAMI AND BENEFICIARY		पिता:MOTIPURI GOSWAMI	1. NAHARGARH POST THALKALAN,VAYA KACHHOLA,MANDALGARH,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,08,56,808.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,08,56,808.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महादेय जी,निवेदन है कि ए.सी.बी मुख्यालय जयपुर से प्राथमिक जॉच संख्या 12/2024 विरूद्ध श्री प्रहलाद नट सरपंच ग्राम पंचायत काछोला पंचायत माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा व अन्य के विरूद्ध दर्ज होकर वास्ते जांच हेतु इस आशय की प्राप्त हुई कि श्री जगन्नाथ सिंह शक्तावत निवासी महुआ तहसील माण्डलगढ़ हाल निवास 273 यू.आई.टी अम्बेडकर नगर कुन्हाड़ी कोटा एवं समस्त ग्रामवासी ने एक शिकायत प्रस्तुत की, जिस पर पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा को जॉच करने के निर्देश प्रदान किये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा ने ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये पट्टो की जॉच करने के लिये विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा को लिखा गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये पट्टो की जॉच सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ़ द्वारा करवायी गई। सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ़ ने कुल 16 पट्टो की जॉच की गई। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 2044 रकबा 0.4047 हैक्टर गैर मु.आबादी में एवं खसरा नं. 2046 रकबा 1.3921 एवं खसरा नं. 2512 रकबा 0.6475 काछोला माण्डलगढ़ राज्य मार्ग के दोनो तरफ भूमि स्थित है जिसमें नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये। उक्त आबादी भूमि के खसरा नम्बर में पुस्तेनी आवासीय भवन/मकान स्थित नही होने के उपरान्त खाली भूमि के पट्टे मात्र 200 रूपये जमा कर पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी किये गये है। आबादी भूमि के खसरा नम्बर 2046, 2512 एवं 2044 भूमि काछोला से माण्डलगढ़ राज्य राजमार्ग के दोनो किनारो पर स्थित है। इस भूमि में व्यवसायिक दुकाने निर्मित है एवं निर्माणाधीन है जिनके पुस्तेनी मकान बताये जाकर नियम 157 के तहत नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये गये। उक्त भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा प्लान तैयार किया जाकर यदि व्यवसायिक भूखण्ड निलाम किये जाते तो कराड़ो रूपये की राजस्व आय प्राप्त होती किन्तु ग्राम पंचायत ने ऐसा नही किया है। उक्त खसरा नम्बरों में पुस्तेनी पट्टे जारी किये गये है। जो पट्टाधारी ग्राम पंचायत काछोला के मूल निवासी नही है। ऐसी स्थिति में नियम 157 के तहत पट्टे जारी नही किये जा सकते है। इसके अलावा ग्राम पंचायत काछोला के शेष रहे 41 पट्टो की जॉच करने के लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा ने विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा को निर्देश दिये। जिसकी पालना में पंचायत समिति माण्डलगढ़ की कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत काछोला में जारी किये गये पट्टो की जॉच की गई जॉच रिपोर्ट से ग्राम पंचायत काछोला पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी किये गये। उपरोक्त पट्टो मे राजस्थान, पंचायतीराज नियमो की पालना नही की गई है। उपरोक्त अंकित किये गये व्यक्ति विशेष के पट्टे की पात्रता नही रखे जाने पर भी व्यक्तिगत लाभ दिये जाने हेतू पट्टा जारी किया गया है, एव साथ ही नियमो की पालना नही कर ग्राम पंचायत को होने वाली निजी आय को प्रत्यक्षतः आर्थिक नुकसान दिया गया है। इस प्रकार श्री प्रहलाद नट सरपंच ग्राम पंचायत काछोला पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा एवं श्री गोर्वधन पुरी गोस्वामी तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी(कनिष्ठ सहायक) ग्राम पंचायत काछोला पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जारी किये गये पट्टो में राजस्थान, पंचायतीराज नियमो की पालना नही की गई है। व्यक्ति विशेष जो पट्टे की पात्रता नही रखे जाने पर भी व्यक्तिगत लाभ दिये जाने हेतू पट्टा जारी किया गया है। खाली भूमि के पट्टे जारी किये गये। कुछ पट्टाधारी ग्राम पंचायत काछोला के मूल निवासी नही है उनके भी नियम विरूद्ध पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया गया आदि आरोपो पर प्राथमिक जांच संख्या 12/24 दर्ज की जाकर जांच की गई।दौराने जॉच

प्राथमिक जाँच में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में उक्त वर्णित अभिलेखिय साक्ष्य/दस्तावेज प्राप्त किये गये। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये पट्टों के सम्बन्ध में कमेटी का गठन किया जाकर जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। गवाह श्री भानु प्रताप सिंह हाड़ा, श्री रामजस जाट, श्री उदय लाल मीणा एवं श्री राजकुमार व्यास आदि के बयान लिये गये। आरोपीगण के स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये। प्राथमिक जाँच में अब तक के संकलित साक्ष्यो से पाया गया कि ग्राम पंचायत काछोला पंचायत समिति माण्डलगढ़ द्व्रारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा को पत्र जारी किया गया। जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा के पत्रांक 1153 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा ब्यूरो में लम्बित प्राथमिक जांच संख्या 12/24 विरूद्ध श्री प्रहलाद नट, सरपंच, ग्राम पंचायत काछोला, पंचायत समिति-मांडलगढ जिला-भीलवाडा द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्व पट्टो की जांच करने हेतु कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी में श्री भानु प्रताप सिंह हाड़ा विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ़, श्री उदयलाल मीणा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति मांडलगढ, श्री रामजस जाट, सहायक लेखाधिकारी, पंचायत समिति मांडलगढ व श्री राजकुमार व्यास, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति-मांडलगढ को सम्मिलित किया गया, कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत काछोला पहुँच कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टो से संबधित रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। तहसील कार्यालय काछोला से डी.एल.सी. दर प्राप्त की गई, कमेटी द्वारा पट्टो का मौका निरीक्षण किया गया। जॉच कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत काछोला द्वारा नियम विरूद्ध जारी किये गये पट्टो का विवरण निम्नानुसार है-1. श्री मुकेश पुत्र सम्पत लाल राजपुरोहित को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 13 दिनांक 22.12.2020 को 1200 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत काछोला द्व्रारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया। मौके पर व्यवसायिक दुकान संचालित है। प्रार्थी के पट्टा सुदा व्यवसायिक दुकान के आगे काछौला माण्डलगढ़ मुख्य सड़क थलकला चौराये के पास खाली पड़त भूमि/भूपट्टी जिसे आवासीय मकान दर्शाकर नियम 157 (ख) के तहत मात्र 200 रूपये में पट्टा दिया गया है जो नियम विरुद्ध है जबकि इस भुपट्टी के पट्टा आवंटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144 के तहत कार्यवाही की जाकर वाणिज्यिक प्रचलित बाजार दर से राशि वसुल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1200 वर्गफिट गुणा 357 रूपये प्रति फिट कुल 4,28,400 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।2. खातुन बानू / छोटुशाह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 14 दिनांक 22.12.2020 को 2100 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्व्रारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मोके पर आंशिक निर्मित भुखण्ड है। अतिक्रमित भुमि जो काछौला माण्डलगढ़ मुख्य सड़क के पास स्वंय की कृषि भूमि के साथ सटी होकर थलकला चौराये के पास स्थित है जो लगभग 200 वर्गफीट आशिक टीन शेड निर्माण मौके पर बना हुआ है। पंचायत द्वारा आवासीय मकान दर्शाकर 157 (ख) के तहत मात्र 200 रूपये में पट्टा दिया गया है, जो नियम विरुद्ध है जबकि अतिक्रमित भुमि का पट्टा आंवटन के लिए पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2100 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 3,94,800 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।3. रूकया बानु / छोटु शाह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 15 दिनांक 22.12.2020 को 2400 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्व्रारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मोके पर खाली भुखण्ड है। अतिक्रमित भुमि जो काछौला माण्डलगढ़ मुख्य थलकला चौराये के पास पास स्वंय की कृषि भूमि के साथ सटी होकर स्थित है।पंचायत द्वारा आवासीय मकान दर्शाकर 157 (ख) के तहत मात्र 200 रूपये में पट्टा दिया गया है जो नियम विरुद्ध है जबकि अतिक्रमित/पड़त भुमि का पट्टा आंवटन के लिए पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2400 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 4,51,200 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।4. श्री राधेश्याम पुत्र श्री शंकर लाल तेली को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 18 दिनांक 27.01.2021 को 360 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्व्रारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर व्यवसायिक दुकान संचालित है। पंचायत द्वारा प्रार्थी को पंचायतीराज नियम 157 (ख) के तहत आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये मे भूमि आवंटित की गयी जो नियम विरुद्ध है। जबकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को पंचायतीराज 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित व्यवसायिक बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी जिसका अभाव होकर पट्टा जारी किया गया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 360 वर्गफिट गुणा 357 रूपये प्रति फिट कुल 1,28,520 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।5.श्री सुखदेव पुत्र हमीरा जाट को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 32 दिनांक 20.02.2021 को 1519 वर्ग फीट का पट्टा

जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित है उक्त जगह मुख्य बाजार में स्थित है पंचायत द्वारा प्राथी को पंचायतीराज नियम 157 (ख) के तहत आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा दिया गया है जो नियम विरुद्ध है। प्रार्थी ग्राम पंचायत काछौला का मुल निवासी नहीं है यह ग्राम पंचायत थलकलां का निवासी है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान को पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित व्यवसायिक बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी जिसका अभाव होकर पट्टा जारी किया गया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1519 वर्गफिट गुणा 357 रूपये प्रति फिट कुल 5,42,283 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।6. श्री शिवचरण पुत्र मदन लाल कसारा को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 38 दिनांक 20.02.2021 को 175.5 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित है उक्त जगह मुख्य बाजार में स्थित है पंचायत द्वारा प्राथी को पंचायतीराज नियम 157 (ख) के तहत आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा दिया गया है जो नियम विरुद्ध है। जबकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित व्यवसायिक बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी जिसका अभाव पाया गया। नोटः- वर्तमान में यह दुकान घनश्याम सुनार के कब्जे में है। शिवचरण कसारा ने बैचान कर दी है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 175.5 वर्गफिट गुणा 357 रूपये प्रति फिट कुल 62,653.5 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।7. श्रीमति सुगन कंवर पत्नी रघुराज सिंह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 46 दिनांक 20.02.2021 को 2700 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर बडे भूखण्ड का तीन भाग विभाजन स्वंय एवं दो पति को पट्टा आवटंन चार दीवारी युक्त खाली भुखण्ड भाग का किया गया है। पंचायत द्वारा इस खाली भुखण्ड को पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा दिया गया जो नियम विरुद्ध है जबकि प्रार्थी मौके पर साईज 117 गुणा 25 पर काबिज है और इसमें आंशिक पशु आश्रय निर्मित है।इसके आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही कर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। भूखण्ड की बडी साईज होने से उक्त आवटंन के दौरान पत्रावली संधारण वक्त नियम 154 अन्तर्गत अनुमोदन के बगैर पट्टा जारी किया जो नियम विरुद्ध होकर 154-157 की अवहेलना है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2700 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 5,07,600 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।8. श्री रघुराज सिंह पुत्र भंवरसिंह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 47 दिनांक 20.02.2021 को 2700 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर बडे भूखण्ड का तीन भाग विभाजन स्वंय एवं दो पत्नि को पट्टा आवटंन चार दीवारी युक्त खाली भुखण्ड भाग का किया गया है। पंचायत द्वारा इस खाली भुखण्ड को पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा दिया गया जो नियम विरुद्ध है जबकि प्रार्थी मौके पर साईज 117×25 पर काबिज है और इसमें आंशिक पशु आश्रय निर्मित है।इसके आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही कर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। भूखण्ड की बडी साईज होने से उक्त आवटंन के दौरान पत्रावली संधारण वक्त नियम 154 अन्तर्गत अनुमोदन के बगैर पट्टा जारी किया जो नियम विरुद्ध होकर 154 - 157 की अवहेलना है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2700 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 5,07,600 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।9.श्रीमति सुगन कंवर पत्नी रघुराज सिंह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 48 दिनांक 20.02.2021 को 2600 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि अतिक्रमित खाली पड़त भूमि पर मौके पर आंशिक भूमि पर आवासीय मकान निर्मितीय स्थित है। मौके पर बडे भूखण्ड का तीन भाग विभाजन स्वंय एवं पति को पट्टा जारी किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 200 रूपये में ही पट्टा भूखण्ड साईज 40×65 वर्ग फीट का जारी किया गया है जो नियम विरुद्ध है जबकि इस भुखण्ड का आंवटन पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से वसूल की जानी थी। भूखण्ड की बडी साईज होने से उक्त आवटंन के दौरान पत्रावली संधारण वक्त नियम 154 अन्तर्गत अनुमोदन के बगैर पट्टा जारी किया जो नियम विरुद्ध होकर 154 - 157 की अवहेलना है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2600 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 4,88,800 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।10. श्री बुधराज सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.02.2021 को 2516 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये

नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि खाली भुखण्ड को दो भागों में विभाजित कर स्वंय प्रार्थी के नाम ही दो पट्टे पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो अनियमित है। मौके पर टीनशेड युक्त पशु आश्रय स्थल बना हुआ है। इस भुमि का आंवटन के लिए पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी जिसकी वसूली का 154 के तहत पत्रावली अनुमोदन का अभाव पाया गया। भूखण्ड की बडी साईज होने से उक्त आवटंन के दौरान पत्रावली संधारण का नियम 154 अन्तर्गत अनुमोदन के बगैर पट्टा जारी किया जो नियम विरुद्ध होकर 154 - 157 की अवहेलना है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2516 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 4,73,008 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।11. श्री बुधराज सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.02.2021 को 2516 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि खाली बड़े भुखण्ड को दो भागों में विभाजित कर 157(ख) के तहत पट्टा मात्र 200 रूपये में दिया गया है जो नियम विरुद्ध है। मौके पर टीनशेड युक्त पशु आश्रय - नोहरा बना हुआ है। इस भुखण्ड का पट्टा आंवटन के लिए पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी जिसकी वसूली का 154 के तहत पत्रावली अनुमोदन का अभाव पाया गया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2516 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 4,73,008 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।12. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1569 मे पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.02.2021 को 2295 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि पंचायत पड़त खाली भुमि के बडे भुखण्ड को चार भागो में विभाजित कर दो भुखण्ड प्रार्थी स्वंय के नाम व दो पट्टे पत्नी के नाम खाली भुखण्ड का पट्टा 157(ख) के तहत मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। अतः खाली भुखण्ड का आंवटन पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी जिसकी वसूली एवं नियम 154 के तहत पत्रावली अनुमोदन का अभाव पाया गया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2295 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 4,31,460 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।13. ओमकंवर पत्नी श्री राजेन्द्र को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1569 मे पट्टा संख्या 02 दिनांक 04.03.2021 को 2380 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि पंचायत पड़त खाली भुमि के बडे भुखण्ड को चार भागो में विभाजित कर दो भुखण्ड प्रार्थीया के स्वंय के नाम व दो पट्टे पति के नाम खाली भुखण्ड का पट्टा 157(ख) के तहत मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। अतः खाली भुखण्ड का आंवटन पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी, जिसकी वसूली एवं नियम 154 के तहत पत्रावली अनुमोदन का अभाव पाया गया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2380 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 4,47,440 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।14. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1569 मे पट्टा संख्या 03 दिनांक 04.03.2021 को 2380 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि पंचायत पड़त खाली भुमि के बडे भुखण्ड को चार भागो में विभाजित कर दो भुखण्ड प्रार्थी स्वंय के नाम व दो पट्टे पत्नी के नाम खाली भुखण्ड का पट्टा 157(ख) के तहत मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। अतः खाली भुखण्ड का आंवटन पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी जिसकी वसूली एवं नियम 154 के तहत पत्रावली अनुमोदन का अभाव पाया गया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2380 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 4,47,440 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया। 15. श्रीमति ओमकंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1569 मे पट्टा संख्या 04 दिनांक 04.03.2021 को 2295 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि पंचायत पड़त खाली भुमि के बडे भुखण्ड को चार भागो में विभाजित कर दो भुखण्ड प्रार्थीया के स्वंय के नाम व दो पट्टे पति के नाम खाली भुखण्ड का पट्टा 157(ख) के तहत मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। अतः खाली भुखण्ड का आंवटन पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी जिसकी वसूली एवं नियम 154 के तहत पत्रावली अनुमोदन का अभाव पाया गया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2295 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 4,31,460 रूपये का राजकोष को हानि

पहुचाना पाया गया।16. श्री सांवरा पुत्र लादु तेली को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1569 मे पट्टा संख्या 09 दिनांक 30.03.2021 को 400 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित है। पंचायत द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान को पुश्तैनी आवास बताकर नियम 157(ख) के तहत 200 रूपये में पट्टा आंवटन किया गया जो नियम विरुद्ध है जबकि व्यवसायिक दुकान का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित व्यवसायिक बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 400 वर्गफिट गुणा 357 रूपये प्रति फिट कुल 1,42,800 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।17. श्रीमति आशा देवी पत्नी नाथुलाल सुथार को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1569 मे पट्टा संख्या 05 दिनांक 04.03.2021 को 1554 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर अतिक्रमित एक ही बड़े भुखण्ड को (चार दीवारी युक्त) दो भागो में विभाजित कर एक पट्टा स्वंय के नाम व दुसरा उसके पति के नाम पुश्तैनी जायदाद दर्शाकर नियम 157(ख) के तहत 200 रूपये में पट्टा आंवटन किया गया जो नियम विरुद्ध है। उक्त खाली भुखण्ड का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी परन्तु राजकीय कोष को हानि देकर पट्टा आंवटन किया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1554 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 2,92,152 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।18. श्री नाथुलाल पुत्र रामपाल को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1569 मे पट्टा संख्या 06 दिनांक 04.03.2021 को 1554 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर अतिक्रमित एक ही बड़े भुखण्ड को (चार दीवारी युक्त) दो भागो में विभाजित कर प्राथी स्वंय के नाम व दुसरा इसकी पत्नी के नाम पुश्तैनी जायदाद दर्शाकर नियम 157(ख) के तहत 200 रूपये में पट्टा आंवटन किया गया जो नियम विरुद्ध है। उक्त खाली भुखण्ड का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी परन्तु राजकीय कोष को हानि देकर पट्टा आंवटन किया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1554 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 2,92,152 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।19. श्री प्रभुलाल पुत्र कन्हैयालाल जोशी को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1569 मे पट्टा संख्या 08 दिनांक 04.03.2021 को 170.91 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर आवासीय मकान के साथ एक आंशिक बन्द व्यवसायिक दुकान निर्मित है। इसका नियम 157(ख) के तहत 200 रूपये मे पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। साथ दो श्रेणियों की नियमोंन्तर्गत पत्रावली क्रियान्वयन आवासीय मय प्रतिष्ठान दर्शायें जानें का अभाव पाया गया। उक्त प्रदर्शित दुकान का पट्टा आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूलनें एवं शेष पैतृक आवास भूमि दर्शायें जाने का अभाव पाया गया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 170.91 वर्गफिट गुणा 357 रूपये प्रति फिट कुल 61,014.87 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।20. श्री अशरफ अली पुत्र मददअली को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1569 मे पट्टा संख्या 16 दिनांक 08.07.2021 को 2610 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर मुख्य सड़क के सहारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित है। पंचायत द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान को पुश्तैनी आावास बताकर नियम 157(ख) के तहत 200 रूपये में पट्टा आंवटन किया गया जो नियम विरुद्ध है जबकि व्यवसायिक दुकान का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। लाभार्थी को पट्टा साईज 58×45 दिया गया जबकि मौके पर 58×38 फीट 9 इंच कुल 2247.50 वर्ग फीट पर ही क्षैत्राधिकार होने के बावजूद 362.5 वर्ग फीट अवैध सम्मिलित कर पट्टा दिया गया। पूर्व की भुजा में 6.25 अतिरिक्त माप जोडा जो गलत है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 2247.50 वर्गफिट गुणा 322 रूपये प्रति फिट कुल 7,23,695 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।21. श्री गोपाल पुत्र भैरूलाल धाकड को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 04 दिनांक 05.09.2020 को 1200 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर चार दिवारी युक्त पशु आश्रय खाली भुखण्ड है जिसे पंचायत द्वारा आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है जबकि भुखण्ड के आंवटन के लिए पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। पट्टे की साईज 40 गुणा 30 कुल 1200 वर्ग फीट जबकि मौकास्थिति पर अतिरिक्त भूपट्टी के आधिक्य क्षैत्रफल पर प्रार्थी

काबिज है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1200 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 2,25,600 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।22.श्रीमति मुन्ना देवी पत्नी श्री सुरेश चन्द्र रेगर को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 05 दिनांक 05.09.2020 को 1750 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर खाली भुखण्ड है जिसे पंचायत द्वारा आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। इस भुखण्ड के आंवटन के लिए पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1750 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 3,29,000 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।23.श्री लोकश कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द्र वैष्णव को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 07 दिनांक 05.09.2020 को 102 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर मेडिकल स्टोर संचालित है उसके सहारे भूपट्टी स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया, जो नियम विरुद्ध है। इस भुखण्ड के आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144 के तहत प्रचलित व्यवसायिक बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। मौके पर मेडिकल स्टोर प्रतिष्ठान निर्मित है। उक्त भूखण्ड बस स्टेण्ड पर स्थित है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 102 वर्गफिट गुणा 357 रूपये प्रति फिट कुल 36,414 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।24.श्री कैलाश चन्द्र पुत्र नन्दा बलाई को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.09.2020 को 1000 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर अतिक्रमित भूमि पर दुकान निर्मित है व अन्य आंशिक भूमि पर टीनशेड नवनिर्माण कर रखा है जिसे मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया, जो नियम विरुद्ध है। इस भुखण्ड के आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत प्रचलित व्यवसायिक (दुकान) एवं आवासीय बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। पट्टे की साईज 50×20 कुल 1000 वर्ग फीट है, जबकि मौके पर प्रार्थी आधिक्य क्षैत्रफल पर काबिज होकर हाल में दुकान की साईज 34.5×20 कुल 690 वर्ग फीट पर व्यापार आंशिक क्षैत्रफल पर संचालित है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 690 वर्गफिट गुणा 357 रूपये प्रति फिट कुल 2,46,330 रूपये व 310 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 58.280 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।25. श्रीमति रोशन देवी पत्नी रामनिवास आचार्य को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 16 दिनांक 27.01.2021 को 2232 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा एक बड़े भूखण्ड को दो भागो मे विभाजित कर एक स्वंय प्रार्थिया के नाम व दूसरा प्रार्थिया के पुत्र के नाम आवटंन किया। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। मौके पर आंशिक भूमि पर आवासीय मकान निर्मित है ग्राम पंचायत को निर्मित भवन के क्षैत्रफल का 25 खाली भूमि निर्मित भवन में सम्मिलित की जानी थी। शेष भूमि का आंवटन पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1)(2) के तहत कार्यवाही की जाकर खाली भूमि का पट्टा 25 प्रतिशत प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल कर किया जाना था जिसका अभाव रहा राशि सम्मुख अंकित है। पट्टे की साईज 74×31 कुल 2232 वर्ग फीट जबकि मौका स्थिति अनुसार 53×31 कुल 1643 वर्ग फीट पर क्षैत्र निर्मित शेष भूमि दक्षिण दिशा में पड़त काबिज भूमि सम्मिलित है उल्लेखित है पट्टा संख्या 17/1575 एक ही बिन्दु पर स्थित होकर इनका प्रवेश द्वार उभयनिष्ठ उपयोग होने से माता और पुत्र का एक ही भूखण्ड के पूरक भाग है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1609 वर्गफिट गुणा 47 रूपये प्रति फिट कुल 75,623 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।26.श्री भैरूलाल पुत्र मांगु धाकड को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 19 दिनांक 27.01.2021 को 1426 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि अतिक्रमण युक्त खाली भूखण्ड जिसके चारो और चार दीवारी व पशु आश्रय बना हुआ है ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी आवास दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। जबकि इस भूखण्ड आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1426 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 2,68,088 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।27. श्री खाजुद्दीन पुत्र मोहम्मद शाह मेवाती को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 22 दिनांक 27.01.2021 को 1800 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा

माण्डलगढ़ से जहाजपुर मुख्य सड़क के किनारे स्वंय की कृषि भूमि के आगे अतिक्रमित आबादी भूमि कब्जा सूदा भूखण्ड पर आंशिक नवनिर्मित/निर्माणाधीन आवास को पूश्तैनी मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। जबकि इस भूखण्ड आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1800 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 3,38,400 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।28. श्रीमति शायदा बेगम पत्नी श्री खाजुद्दीन शाह मेवाती को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 23 दिनांक 27.01.2021 को 1800 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा माण्डलगढ़ से जहाजपुर मुख्य सड़क के किनारे स्वंय की कृषि भूमि के आगे अतिक्रमित आबादी भूमि कब्जा सूदा भूखण्ड पर आंशिक नवनिर्मित/निर्माणाधीन आवास को पुश्तैनी मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। जबकि इस भूखण्ड आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1800 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 3,38,400 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।29. श्रीमति तारा देवी पत्नी रतन लाल आचार्य को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 29 दिनांक 27.01.2021 को 1750 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर खाली पड़त भूखण्ड/पड़त भूमि पर पशु आश्रय बना हुआ है पंचायत ने आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया जो नियम विरुद्ध है। इस भुखण्ड के आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। भूखण्ड पूर्व-पश्चिम परिमाप एवं काबिज क्षैत्र में 23 फीट का अंतर पाया गया। पट्टा साईज 25 गुणा 70 कुल 1750 वर्ग फीट कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1750 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 3,29,000 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।30. श्रीमति आशा देवी पत्नी खुशराज आचार्य को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 30 दिनांक 20.02.2021 को 1750 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर खाली पड़त भूखण्ड/पड़त भूमि पर पंचायत ने आवासीय मकान दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया जो नियम विरुद्ध है। इस भुखण्ड के आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1750 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 3,29,000 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।31. श्रीमति सुनीता पत्नी कृष्ण गोपाल सोडानी को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 33 दिनांक 20.02.2021 को 720 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि खाली पंचायत पड़त भूमि/भूखण्ड जिसके चार दीवारी है। ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी आवास दर्शाकर मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। जबकि इस भूखण्ड आंवटन के लिए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 720 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 1,35,360 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।32. श्री रतनलाल पुत्र श्री लादुलाल आचार्य को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 35 दिनांक 20.02.2021 को 1750 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा एक बड़े भूखण्ड को दो भागो मे विभाजित कर एक स्वंय प्रार्थी के नाम व दूसरा पत्नि तारा देवी आचार्य के नाम है जो पट्टा 29/1575 से विभाजित भूखण्ड है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। मौके पर चार दीवारी युक्त टीनशेड व पशु आश्रय बना हुआ है। इस भूखण्ड का आंवटन पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। पट्टा साईज 25×70 कुल 750 वर्ग फीट। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 1750 वर्गफिट गुणा 188 रूपये गुणा प्रति फिट कुल 3,29,000 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।33. श्री नन्दलाल पुत्र श्री मोती लाल बलाई को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 39 दिनांक 20.02.2021 को 1350 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जॉच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर आवासीय मकान स्थित है इनके साथ प्रार्थी की उतर दिशा के परिमाप तत्समय सचिव द्वारा तैयार नजरी नक्शा एवं वर्तमान मौका स्थल में भुजाएं दर्शाएं माप में मौके पर 34 फीट अभिलेख अंकितानुसार 45

'फीट इस प्रकार दोनों दस्तावेज में 11 फीट का अंतर है। कुल क्षैत्रफल में 30×11 कुल 330 वर्ग फीट काल्पनिक पडौसी खानादास के मकान की सीमा के अंदर पाया अतः इस प्रकार नियम 145 से 146 मौका अवलोकन की अनियमितता/अवहेलना की गयी। अतः वैकल्पिक पट्टा जारी किया जाना प्रस्तावित होगा या निगरानी योग्य है। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 330 वर्गफिट 188 रूपये प्रति फिट गुणा कुल 62,040 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।34. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र दुर्गालाल स्वर्णकार को ग्राम पंचायत काछोला द्वारा पटटा बुक नंबर 1575 मे पट्टा संख्या 43 दिनांक 20.02.2021 को 1092 वर्ग फीट का पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत काछोला द्वारा जारी किये गये नियम विरूद्ध पट्टो की जाँच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी ने मौका निरीक्षण से पाया किया कि मौके पर आवासीय मकान जो करीबन 15 से 22 वर्षो के पूर्व निर्मित होकर प्रार्थी द्वारा एक दुकान क्षैत्रफल एवं शेष में आवासरत है। पत्रावली विनियमितीकरण नियम 157(ख) में के तहत 200 रूपये में पट्टा जारी किया गया जबकि आवासीय भवन मुख्य दरवाजे के साथ एक दुकान संचालित (आंशिक) व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थित है जिसकी साईज ल चौ. क्षैत्रफल का पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत कार्यवाही की जाकर व्यवसायिक प्रचलित बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी। पत्रावली पैतृक/आवासीय एवं व्यवसायिक श्रेणी के प्रकार की होने के बावजूद व्यवसायिक श्रेणी अंकन का अभाव पाया गया। कमेटी द्वारा उक्त भूखण्ड नियम जारी करने से 80.08 वर्गफिट गुणा 188 रूपये प्रति फिट कुल 28,588.56 रूपये का राजकोष को हानि पहुचाना पाया गया।ग्राम पंचायत काछोला, पंचायत समिति मांडलगढ जिला भीलवाडा द्वारा जारी किये गये, उक्त 34 पट्टो का मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा किया गया था, मौका निरीक्षण अनुसार कुल 34 के पट्ठो में राजकीय राशि की वसूली नही की जाकर नियम विरूद्ध पट्ठे जारी किये गये जिससे कुल 1,08,56,808 रूपये की राजकोष को हानि हुई।इस प्रकार ग्राम पंचायत काछोला, पंचायत समिति मांडलगढ जिला भीलवाडा द्वारा जारी 34 पट्टो में आरोपीगण 1. श्री प्रहलाद नट तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत काछोला पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा एवं 2. श्री गोर्वधन पुरी गोस्वामी तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी (कनिष्ठ सहायक) ग्राम पंचायत काछोला, पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत जस्सुजी का खेडा, पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा पट्टा धारको से आपसी मिलि भगत कर नियम विरूद्ध पट्टे जारी कर राजकोष को 1,08,56,808/- रूपये की हानि पहुचाना पाया गया। आरोपीगण श्री प्रहलाद नट पुत्र श्री गोपी लाल नट उम्र 49 साल निवासी काछोला तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत काछोला पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा एवं 2. श्री गोर्वधन पुरी गोस्वामी पुत्र श्री मोतीपुरी गोस्वामी निवासी नाहरगढ़ पोस्ट थलकलां वाया काछोला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी (कनिष्ठ सहायक) ग्राम पंचायत काछोला, पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत जस्सुजी का खेडा, पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा एवं लाभार्थीगण द्वारा धारा 7, 12, 13(1)(ए) संपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 193, 420, 120बी भा.द.स. का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। अतः आरोपीगणों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को सादर प्रेषित है।भवदीय,(भाग चन्द्र)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोभीलवाडा-द्वितीय।...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भाग चन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12, 13(1)(ए) संपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 193, 420, 120बी भा.द.स. में आरोपीगण 1. श्री प्रहलाद नट पुत्र श्री गोपी लाल नट उम्र 49 साल निवासी काछोला तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत काछोला पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा 2. श्री गोर्वधन पुरी गोस्वामी पुत्र श्री मोतीपुरी गोस्वामी निवासी नाहरगढ़ पोस्ट थलकलां वाया काछोला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी (कनिष्ठ सहायक) ग्राम पंचायत काछोला, पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत जस्सुजी का खेडा, पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा एवं लाभार्थीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारस मल उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 422 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1523-28 दिनांक 13.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा, 2. प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर, 3- जिला स्थापना समिति, भीलवाडा, 4- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम, 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जाँच 12-2024)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** parasmal panwar **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]6

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				
2	Male	28/08/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)